21-6-17

पत्रावली राजस्व केन्द्र न्याय मार्ग के द्वारा केन्द्र सागेवा से दिनांक 21-6-17 को प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर निर्णित किया गया। निर्णय आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसलाशुदा होकर नम्बर से कम हो।

[illegible]

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) [illegible]

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार–2017 केम्प सांगवा

पीठासीन अधिकारी : सुश्री रेनु मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 119/2016

1. श्रीमती चांदी पुत्री चेना जाट, निवासी–सांगवा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा। **–प्रार्थियां**

बनाम

1. श्री लाला पिता एकलिंग दमामी, निवासी–सांगवा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2. श्री माधु पिता गुलाब नायक, निवासी–सांगवा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
3. श्री देबी पिता घीसा जाट, निवासी–सालरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
4. श्री रामेश्वर पिता हीरा जाट, निवासी–सालरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
5. श्रीमती सुगना देवी पत्नि डालु जाट, निवासी–सालरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
6. ग्राम पंचायत सांगवा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत सांगवा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। **—विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128

राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 21.06.2017

प्रार्थियां के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि. के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 04.05.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सांगवा, पटवार क्षेत्र सांगवा, तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 94 में स्थित आराजी संख्या 780 रकबा 06–07 बीघा, आराजी संख्या 781 रकबा 01–18 बीघा, आराजी संख्या 782 रकबा 1–16 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 10–01 बीघा कृषि भूमि प्रार्थियां के नाम पर है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थियां एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थियां अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थियां के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित व विपक्षीगण संख्या 03 से लगायत 06 अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थियां स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थियां स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सांगवा, पटवार [illegible] [illegible], तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 94 में स्थित आराजी संख्या 780 रकबा 06—07 बीघा, [illegible] संख्या 781 रकबा 01—18 बीघा, आराजी संख्या 782 रकबा 1—16 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा [illegible] बीघा कृषि भूमि प्रार्थियां के नाम पर है। उक्त भूमि की पत्थरगढी फसल कट जाने के पश्चात 15 [illegible] मे उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा [illegible] प्रार्थियां इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 1100/— अक्षरे ग्यारह सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी [illegible] मे राजकोष मे जमा करायें, साथ ही कमिश्नर फीस 500/— रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर [illegible] करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट [illegible]।

आदेश आज दिनांक 21.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। [illegible] फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(रेनु मीणा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीलवाड़ा